न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 295/2024

अपीलांट

1. लालाराम पुत्र पुरखाराम
2. तेजाराम पुत्र पुरखाराम
3. साजनराम पुत्र पुरखाराम
4. मालाराम पुत्र नारणाराम
5. विसनाराम पुत्र पेमाराम
6. रूपाराम पुत्र पेमाराम

(जाति जाट, निवासी पुनियों की बस्ती, चवा, तहसील व जिला बाडमेर तहसील व जिला बाडमेर)

बनाम

रेस्पोडेन्ट

1. तुलछाराम पुत्र पेमाराम के का0मु0
   1/1 नेनुदेवी पत्नी तुलछाराम
   1/2 धूडाराम पुत्र तुलछाराम
   (जाति जाट, निवासी मूले का तला (सरली) तह0 व जिला बाडमेर)

प्रफॉमो पक्षकार–

2. गणपतसिंह पुत्र भगवानसिंह
3. सुमेरसिंह पुत्र भगवानसिंह
4. गजेसिंह पुत्र भगवानसिंह
5. ओमसिंह पुत्र पहाड़सिंह
6. हुकमसिंह पुत्र पहाडसिंह
7. टीकमसिंह पुत्र पहाडसिंह
   (जाति राजपूत, निवासी मूले का तलां (सरली) तह0 व जिला बाडमेर)
8. गुमानाराम पुत्र प्रभुराम दर्जी
   निवासी दौलाणियों की ढाणी, सांजटा निम्बली (पायला खुर्द) तह0 सिणधरी)
9. पुरखाराम पुत्र प्रभुराम
10. ताजाराम पुत्र प्रभुराम
    (जाति दर्जी, निवासी दौलाणियों का तलां, तह0 सिणधरी जिला बाडमेर)
11. चतुराराम पुत्र पेमाराम जाट
    निवासी पुनियों की बस्ती, चवां, तह0 व जिला बाडमेर)
12. धर्माराम पुत्र करनाराम जाट
    निवासी दौलाणियों का तला, सांजटा, तह0 सिणधरी, जिला बाडमेर
13. पवन कंवर पत्नी पहाड़सिंह राजपूत
    निवासी मूले का तलां
14. सरूपा पुत्र सवाईराम
15. भोपाराम पुत्र सवाईराम
16. वीराराम पुत्र सवाईराम
17. पूरो देवी पत्नी सवाईराम
18. हीरोदेवी पत्नी राणाराम

(जाति दर्जी, निवासी दौलाणियों की ढाणी, सांजटा, तह0 व जिला बाडमेर)

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956, विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी बाडमेर राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 17/2018 आदेश दिनांक 03.05.2018

उपस्थिति –

1. श्री मोहनलाल खत्री वकील अपीलांट्स
2. श्री उम्मेदसिंह बावरला वकील रेस्पो0 सं0 1/1 से 1/2
3. प्रफॉर्मा पक्षकार अनुपस्थित

निर्णय

दिनांक 04.09.2024

प्रस्तुत राजस्व अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी–रेस्पो0–तुलछाराम ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, राज0 भू–राजस्व अधि0, 1956 प्रस्तुत कर तहसील बाडमेर के ग्राम मूले का तलां स्थित अपने खातेदारी खसरा नं0 391 रकबा 0.07 बीघा एवं ख0नं0 635/392 रकबा 63.12 बीघा कुल रकबा 63.19 बीघा भूमि की नेखमबंदी पैमाईश जरिये पत्थरगढी करवाने हेतु प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.05.2018 द्वारा स्वीकार कर प्रार्थी–रेस्पो0 के उल्लेखित खसरान की भूमि पर नेखमबंदी करवाने का आदेश पारित किया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने राज0 भू–राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु मियाद अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। जो न्यायहित में स्वीकार कर अपील का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

बहस सुनी गई। अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए अपनी बहस में मुख्यतः यह निवेदन किया कि अपीलांट्स ग्राम मूले का तलां के खसरा नं0 1426 व 1427 का रेकर्डेड खातेदार है तथा मौके पर कब्जाकाश्त है। उक्त खसरान में पुरानी रहवासीय ढाणियां बनी हुई है तथा तारबंदी की हुई है। इसके पडौस में प्रत्यर्थी सं0 1 की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नं0 391 व 635/392 स्थित है। रेस्पो0सं0 1 द्वारा अपने खेत खसरान की नेखमबंदी हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अपीलांट्स के नोटिस तामिल मानते हुए उसकी अनुपस्थिति में बिना सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिये लोक अदालत में एकतरफा अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। अपीलांट्स एवं अन्य प्रत्यर्थीगण को जारी

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

नोटिस गलत चस्पानगी रिपोर्ट के, तामिल प्रर्याप्त मान लिए गये, जबकि उस पर तहसीदार के हस्ताक्षर एवं मुद्रा अंकित नही है। इस प्रकार आलौच्य आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरित होने से निरस्त योग्य है। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 111 व 128 के प्रावधानों की अनदेखी की गई है, बिना सीमाज्ञान रिपोर्ट के नेखमबंदी का आदेश पारित नही किया जा सकता है। वस्तुतः रेस्पो0सं0 1 की जमीन मौके पर कम होने व राजस्व रेकर्ड में अधिक होने से वह नेखमबंदी की आड में अपीलांट्स की खातेदारी भूमि में 10–12 अन्दर घुसकर नेखमबंदी करवाने को आमदा है, जबकि ऐसे प्रकरणों का निस्तारण नियमित वाद से ही संभव है। मौके पर 3 ग्रामों का कांकण है व नाप अन्य ग्राम से किया जा रहा है। अतः अपीलाधीन आदेश विधि एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरित होने से निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

जवाब मे प्रार्थी–रेस्पो0 सं0 1/1 व 1/2 के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्यतः यह आग्रह किया कि प्रार्थी के उल्लेखित खसरान की भूमि के पास अपीलांट्स की खातेदारी भूमि स्थित है, जिससे सेढों को लेकर आपसी विवाद रहता है। इस कारण प्रार्थी–रेस्पो0 अपनी खातेदारी भूमि का संरक्षण हेतु नेखमबंदी जरिये पत्थरगढी करवाना चाहता है, जिसका उसे पूर्ण अधिकार है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विप्रार्थीगण के नोटिस तामिल की श्रेणी में प्राप्त हो चुके थे। विप्रार्थीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अपीलाधीन आदेश द्वारा तहसीलदार बाडमेर को प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए निशिचित तिथि को सीमांकन एवं पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया गया है। अपीलाधीन आदेश की पालना में मौके पर सीमांकन एवं नेखमबंदी की कार्यवाही में अपीलांट्स का विवाद/आपत्ति अनुचित है। तथापि अपील अपीलांट पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करने का आग्रह किया

उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व उसके सलंग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। जिसके आधार पर यह पाया गया कि प्रकरण में अपीलांट्स व रेस्पो0सं0 1/1 व 1/2 के मध्य मौके पर सीमा संबंधी विवाद है। यह भी प्रकट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण मे पडौसी खातेदार–अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर नही मिला। मौका फर्द दिनांक 08.5.24 से

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

10.5.24 के अनुसार अपीलाधीन आदेश की पालना में प्रार्थी–रेस्पो0 के खसरा नं0 391 व 635/392 की भूमि की नेखमबंदी हेतु पैमाईश में पक्षकारों के बीच सहमति नही बनने के कारण नेखम स्थापित नही किए जा सके व पैमाईश कार्य का नक्शा पृथक से तैयार कर उस पर संकेत, बिन्दुवार नाप अंकित करके मौका फर्द के साथ संलग्न किया गया है। चूंकि अपीलांट का हस्तगत प्रकरण में मुख्यतः यही कथन रहा है कि उसे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नोटिस एवं सुनवाई का अवसर नही मिला तथा मौका फर्द के अनुसार मौके पर पक्षकारों के बीच सहमति नही बनने से नेखम स्थापित नही किए जा सके है। इस स्थिति में उभय पक्ष की सहमति के आधार पर उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित समझा गया।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट्स आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडमेर द्वारा राजस्व आवेदन सं0 17/2018 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.05.2018 निरस्त किया जाता है। साथ ही उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलाधीन खसरान की भूमि का सीमांकन एवं पत्थरगड़ी हेतु अपीलांट्स एवं रेस्पो0 सं0 1/1 व 1/2 तथा अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारान/खातेदारान/सह–खातेदारान की सुनवाई के पश्चात, तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त कर सीमांकन एवं पत्थरगढी हेतु 03 माह में पुनः विधिसम्मतः आदेश पारित करे। उभय पक्षकारान को सूचित किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय–उपखण्ड अधिकारी बाडमेर के समक्ष मूल आवेदन में सुनवाई हेतु दिनांक 23.09.2024 को उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 04 सितम्बर, 2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

04.09.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर